

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

दीपक

बनाम

जोगदीश

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

269/2022

2022/260

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30 ⁵ / ₂₀₂₂	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>दीपक</u></p> <p>पिता श्री <u>अगवतीलाल शास्त्री</u></p> <p>निवासी- <u>सेगवा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>सेगवा (प.ह. लेमलीया)</u> स्थित ^{सद} खातेदारी की आराजी नम्बर <u>448, 449</u> <u>493</u> <u>0.11</u> <u>0.30</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकबा <u>0.7100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के ^{सद} खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेगवा (प.ह. लेमलीया)</u> स्थित ^{सद} खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>448</u>, <u>449</u>, <u>493</u> <u>0.11</u>, <u>0.30</u>, <u>0.30</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.7100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500-00</u> रुपये अक्षरे <u>पांच लाख रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(शरद सुन्दर विरनेई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>